


## कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

### कार्यालय-आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमों:- शिविरा/माध्य/संस्था/बी-2/45002/स्था-समा/2016-17 दिनोंक:-09, 18,19 एवं 20.10.16 द्वारा निम्नांकित प्रधानाचार्यों के स्थानान्तरण आदेश जारी किये गये थे । उक्त आदेशों निम्नानुसार संशोधन एतद् द्वारा जारी किया जाता है:-

क्र.स.	नाम अधिकारी	स्थानान्तरण आदेश	संशोधन
1	तेजाराम सीरबी प्र.अ.	गुडाजैतसिंह रानी पाली से किरान नगर जैतारण पाली के आदेश पर	कार्मिक का मूल पद प्रधानाचार्य के स्थान पर प्रधानाध्यापक एवं प्रभावी तिथि 1.2.17 पढी जावे ।
2	गोपाल सिंह	पीपला-राजसमन्द से सिंघवाली-नगर भरतपुर	लेपला कुम्भलगढ राजसमन्द के स्थान पर पीपला-कुम्भलगढ एवं सिंघवाली के स्थान पर सिंघवाली-नगर भरतपुर पढा जावे ।
3	इन्द्रधन्द	काबरा अजमेर से बनजारी अजमेर के आदेश पर	कार्मिक को यात्रा भरता एवं योगकाल देय होगा ।

शेष शर्तें मूल आदेशानुसार रहेंगी।


  
संयुक्त निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

कर्मोंक:- शिविरा/माध्य/संस्था/बी-2/45002/स्था-समा/2016-17 दिनोंक:- 03.11.16

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार)
2. संबंधित उपनिदेशक(प्रारम्भिक/माध्यमिक )
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-1/II/विधि)
4. संबंधित संस्था प्रधान को पाबंद किया जाता है कि कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण की कार्यवाही शालादर्पण के माध्यम से ही करवाया जाना सुनिश्चित करें ।
6. संबंधित कार्मिक
7. निजी एवं रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक-कार्मिक


## कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

### कार्यालय-आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक:- शिविरा/माध्य/संस्था/बी-1/45001/स्था-समा/2016-17 दिनांक:-20.10.16 द्वारा निम्नांकित प्रधानाध्यापकों के स्थानान्तरण आदेश जारी किये गये हैं। उक्त आदेशों निम्नानुसार संशोधन एतद् द्वारा जारी किया जाता है:-

क्र.स.	नाम अधिकारी	स्थानान्तरण आदेश	संशोधन
1	रामकुमार परिहार	रामावि हडवेचा-बाडमेर से रामावि.8 के.वाई.डी.-खाजूवाला बीकानेर के आदेश पर	प्रभावी तिथि 01.01.16 के स्थान पर 01.01.17 पढी जावे।
2	हरविन्द्रसिंह	बशीर-टिन्डी हनुमानगढ से 18 एसडीएस सादुलशहर गंगानगर के आदेश पर	कार्मिक को यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय होगा।


शेष शर्तें मूल आदेशानुसार रहेंगी।

  
संयुक्त निदेशक  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा/माध्य/संस्था/बी-1/45002/स्था-समा/2016-17 दिनांक:- 02.11.16

प्रक्षितिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
2. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (गुप्त-2) विभाग शासन सचिवालय जयपुर
3. संबंधित उपनिदेशक (प्रारम्भिक/माध्यमिक)
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-1/II/विधि)
5. संबंधित संस्था प्रधान को पाबंद किया जाता है कि कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण की कार्यवाही शालादर्पण के माध्यम से ही करवाया जाना सुनिश्चित करें।
6. संबंधित कार्मिक
7. निजी एवं रक्षित पत्रावली

  
संयुक्त निदेशक-कार्मिक